सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

 A16/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियाँ, आर०ए०एस०

निगरानी पंचायत प्रकरण सं० 15/13

1. बृजलाल उर्फ बुर्जाराम पुत्र श्री चन्दू राम निवासी गणेशगढ, डूँगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. मॉंगीराम पुत्र श्री निकूराम निवासी चक 24 एम एल व 25 एम एल तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य
2. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
3. उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर।
4. तहसीलदार, सादुलशहर
5. सरपंच, ग्राम पंचायत, गणेशगढ पं० समिति, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :
1. प्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर नहीं।
2. राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी सं० 2 से 4
3. अप्रार्थी सं० 5 सरपंच, ग्रा० पं० गणेशगढ स्वंय उपस्थित।

दिनांक : 16-08-2016

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी०बी० सिविल रिट याचिका (पी०आई०एल०) सं० 13624/12 बृजलाल वगैरा बनाम राज्य वगैरा में दिनांक 11-01-13 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य मे प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 18-2-13 को जिला कलक्टर महोदय को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर, माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 11-01-13 को पालना में कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

माननीय जिला कलक्टर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 11-01-13 की फोटो प्रति एवं प्रार्थीगण का अभ्यावेदन दिनांक 18-2-13 की प्रति मय आदेशिका दिनांक 20-2-13 की प्रति जरिये पत्रांक 413 दिनांक 22-2-13 द्वारा कार्य विभाजन के क्रम में सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय में भिजवाया है।

माननीय जिला कलक्टर से प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण को तलब किया गया। विकास अधिकारी, सादुलशहर, सरपंच, ग्राम पंचायत गणेशगढ, सरपंच, ग्राम पंचायत डूँगरसिंहपुरा एवं तहसीलदार, सादलुशहर से रिपोर्टस प्राप्त की गई। प्रार्थी बृजलाल की पत्नी ने ता० पेशी 8-3-13 का नोटिस लेने से इन्कार कर दिया था। दिनांक 3-4-13 की पेशी का नोटिस खुद पर तामील हुआ है। प्रार्थी मॉंगी राम का नोटिस सावित्री पत्नी नीकूराम जो मॉंगी राम की माँ है, पर तामील हुई हैं। दोनों बावजूद विधिवत् तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। ग्राम पंचायत गणेशगढ के सरपंच दिनांक 8-3-13, 11-3-13 एवं 13-3-13 को न्यायालय में उपस्थित हुए हैं।

राजकीय अधिवक्ता व उपस्थित पक्षकारान को अभ्यावेदन पर सुना गया।

प्रार्थीगण द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक 18-2-13 में निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :-

1. यह कि ग्रामवासियों लालगढ जाटान, एन्नीवाली जाटान, गणेशगढ, डूँगरसिंहपुरा तहसील सादुलशहर के जोहड़ पायतन की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है एवं इस जगह पर अपने आवास निर्मित कर लिये गये हैं। ग्राम पंचायत अधिकार क्षेत्र में यह भूमि स्थित है, द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से पट्टे जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण को नियमित कर दिया गया है।

अभ्यावेदन दिनांक 07-11-12 एवं 26-11-12 में निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :-

1. यह कि गॉंव लालगढ जाटान में तीन जोहड़ पायतन बने हुए है जिनपर ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव के द्वारा अवैध रूप से पट्टे जारी किये हुए हैं और उक्त

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

जिनको पट्टे जारी किये, उन्होनें अपने पक्के मकान बना रखे हैं जो कि विधिविरूद्ध हैं, जिनको न्यायहित में हटाना अति आवश्यक है।

2. यह कि गॉव पन्नीवाली जाटान में दो जोहड़ पायतन हैं जहॉ भी सरपंच व सचिव के द्वारा अवैध रूप से प्लाट काट कर पट्टे जारी किये हैं और लोग अवैध रूप से काबिज हो गये हैं।

3. यह कि उक्त लोगों द्वारा जोहड़ पायतनों पर कब्जा अवैध रूप से पट्टे जारी करने के कारण गॉव मेंबरसाल के पानी की निकासी रूक गई है और गलियों में पानी भर जाता है और पशुओं को पानी पीने की किल्लत आती है और पशु प्यासे रहते हैं, जिनसे उनकी मृत्यू हो जाती है।

4. यह कि इस बाबत कई बार गॉव में पंचायतें हुई। सरपंचों से गुहार की गई कि जोहड़ पायतनों पर कब्जा हटाओ । सरपंच व सचिव द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

उक्त अभ्यावेदन पर विकास अधिकारी, सादुलशहर द्वारा ग्राम पंचायतलालगढ जाटान, पन्नीवाली, गणेशगढ व डूँगरसिंहपुरा के ग्राम सचिवों एवं पटवारी से वस्तुस्थिति की रिपोर्टस प्राप्त कर जरिये पत्र क्रमांक पंससा/3058 दिनांक 5-3-13 को निजवाई है। ग्राम पंचायत गणेशगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11-3-13 जो दिनांक 13-3-13 को प्रस्तुत की है। तहसीलदार, श्री गंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/विविध/2013/856 एवं 857 दिनांक 8-3-13 प्रस्तुत की है।

प्राप्त रिपोर्टस के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :

अभ्यावेदन दिनांक 18-2-13, 7-11-12 एवं 26-11-12 के सम्बन्ध में विकास अधिकारी, सादुलशहर की रिपोर्ट दिनांक 5.03.2013 एवं तहसीलदार, श्री गंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 8-3-13 के अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

लालगढ जाटान में दो जोहड़ हैं, जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा रिटनिंग वाल कर पक्का कर दिया गया है। वार्ड नं0 27 में खड्डा है, इसमें बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है। इसका रेकार्ड में कोई जोहड़ पायतन दर्ज नहीं है। वर्तमान में इस जगह का चुनादेवी रा0 बा0 उ0 मा0 वि0 लालगढ के नाम से पट्टा जारी है। राजस्व रेकार्ड में कोई भी जगह जोहड़ पायतन के नाम दर्ज नहीं है।

पटवारी हल्का लालगढ सी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28-2-13 में दर्शित किया है कि " राजस्व रेकार्ड में जोहड़ पायतन के नाम से भूमि दर्ज नहीं है"।

ग्राम पंचायत लालगढ जाटान की पूर्व सरपंच तुलछो द्वारा दिनांक 27-12-2004 को रा0 उ0मा0 वि0 छात्रा चुनादेवी, लालगढ के नाम से निःशुल्क पट्टा प्रस्ताव सं0 8 दिनांक 7-10-04 जिसका साईज 338 गुणा 487 वर्गफुट है, जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत लालगढ जाटान के पूर्व सरपंच श्री चुन्नीराम वर्मा द्वारा एक अन्य पट्टा रा0उ0 मा0 वि0 कन्या, लालगढ जाटान प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 16-9-99 निःशुल्क साईज 475 गुणा 330 जोहड़ के बीच बची भूमि का उल्लेख करते हुए पट्टा जारी किया गया है।

इस प्रकार, प्राप्त रिपोर्टस के अनुसार लालगढ जाटान में राजस्व रेकार्ड में जोहड़ पायतन के नाम से भूमि दर्ज नहीं है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार जब जोहड़ पायतन की भूमि नहीं है तो कब्जे करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। जो पट्टे जारी किये गये हैं वे रा0 उ0मा0 वि0 छात्रा चुनादेवी, लालगढ के नाम से निःशुल्क पट्टा प्रस्ताव सं0 8 दिनांक 7-10-04 जिसका साईज 338 गुणा 487 वर्गफुट है, एवं रा0उ0 मा0 वि0 कन्या, लालगढ जाटान प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 16-9-99 निःशुल्क साईज 475 गुणा 330 जोहड़ के बीच बची भूमि का उल्लेख करते हुए पट्टा जारी किया गया है। अतः लालगढ के संबंध में जोहड़ पायतन की भूमि पर अतिक्रमण करना एवं अतिक्रमण को नियमित कर पट्टे जारी करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

जहॉ तक पन्नीवाली जाटान का प्रश्न है, सचिव, ग्राम पंचायत पन्नीवाली की रिपोर्ट दिनांक 1-3-13 के अनुसार " गॉव पन्नीवाली में दो जोहड़ हैं, जो रेकार्ड में नही हैं। ग्राम पंचायत रेकार्ड व नक्शा अनुसार कोई जगह जोहड़ पायतन के लिए आरक्षित नहीं है", राजस्व पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 1-3-13 के अनुसार ग्राम पंचायत पन्नीवाली में राजस्व रेकार्ड के अनुसार किसी प्रकार की जोहड़ पायतन की जगह आरक्षित नहीं की गई है"।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

इस प्रकार, उक्त रिपोर्टस के अनुसार ग्राम पंचायत पन्नीवाली में जोहड़ पायतन के लिए भूमि आरक्षित नहीं होने से जोहड़ पायतन की भूमि पर अतिक्रमण करने, अतिक्रमण को नियमित करने एवं पट्टे जारी करने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है।

जहाँ तक गणेशगढ का प्रश्न है, सचिव ग्राम पंचायत गणेशगढ की रिपोर्ट दिनांक 4-3-13 के अनुसार पटवारी हल्का की जानकारी के अनुसार जमाबंदी 2066-69 में हल्का गणेशगढ के मु0 नं0 71 में कि0 नं0 1 से 25, मु0 नं0 72 में कि0 नं0 1 से 4, 8 से 12 व 19 से 21 कुल 12-00 बीघा, मु0 नं0 90 में कि0 नं0 1 व मु0 नं0 91 का कि0 नं0 2 से 9 व कि0 नं0 14,17 सहित कुल 48-00 बीघा गैरमुमकिन जोहड़ के नाम दर्ज है।

दिनांक 11-3-13 की रिपोर्ट में सरपंच दिलावारसिंह ने वर्णित किया है कि उपरोक्त रकबे के आंशिक भू भाग पर रा0उ0मा0वि0, रा0प्रा0पा0 व पशु चिकित्सालय संचालित है। रा0 उ0 मा0 वि0 के रेकार्ड स्कालर पंजिका के अनुसार यह विद्यालय सन् 1937 से गणेशगढ में संचालित है। इस संबंध में संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें विद्यालय में उपस्थित स्कॉलर पंजिका में छात्रों के प्रवेशांक 1937 से हैं। विद्यालय के आसपास कुछ आबादी बसी हुई थी। कई परिवारों के पशुओं के बाड़े एवं कच्चे मकान बने हुए थे। पूर्व सरपंचों द्वारा इसी जगह के कुछ पट्टे जारी किये गये थे। उपरोक्त रकबे में से अधिकांश भू भाग आज तक खाली है।

ग्राम पंचायत, गणेशगढ द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये हैं, जिनकी फोटो प्रतियाँ उपलब्ध कराई गई हैं :-

(1) शानसिंह पुत्र केहरसिंह निवासी गणेशगढ दिनांक 1-8-73
(2) मखनसिंह पुत्र हरनामसिंह निवासी गणेशगढ दिनांक 15-12-72
(3) डुंगरसिंह पुत्र हरीसिंह निवासी गणेशगढ दिनांक 1-8-72
(4) नंदसिंह पुत्र सन्तोखसिंह निवासी गणेशगढ दिनांक 1-8-72
(5) बोघासिंह पुत्र श्यामसिंह निवासी गणेशगढ दिनांक 1-1-71
(6) बघेरासिंह पुत्र हरीसिंह निवासी गणेशगढ दिनांक 1-8-72
(7) तलोकसिंह पुत्र पालसिंह निवासी डूँगरसिंहपुरा दिनांक 16-11-71
(8) हरनामसिंह पुत्र गोपालसिंह निवासी डूँगरसिंहपुरा दिनांक 15-4-73
(9) गुरासिंह पुत्र निकासिंह निवासी गणेशगढ दिनांक 5-10-76
(10) हरीसिंह पुत्र भागसिंह निवासी गणेशगढ दिनांक 15-5-73

उपरोक्त रकबा की मौका स्थिति निम्नानुसार है :- ग्रा0 प0 गणेशगढ द्वारा गैरमुमकिन जोहड़ की उपरोक्त भूमि के आंशिक भू भाग पर संचालित विद्यालय रा0उ0मा0वि0 एवं रा0प्रा0पा0 एवं पशु चिकित्सालय को कोई पट्टा जारी नहीं किया हुआ है। मु0 - नं0 71 व 72 के कुल रकबा में से आंशिक भू भागपर दो विद्यालय व पशु चिकित्सालय बना हुआ है। मु0 नं0 91 के कि0 नं0 17 में डूँगरसिंहपुरा की आबादी बसी हुई है। मु0 नं0 90 का कि0 नं0 1 में डूँगरसिंहपुरा के दो परिवार बसे हुए हैं।

आबादी भूमि व गैरमुमकिन जोहड़ की भूमि के ग्रा0 पं0 गणेशगढ व डूँगरसिंहपुरा के मध्य एक विवाद माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है, जिसमें यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया हुआ है।

इस प्रकार, गणेशगढ व डूँगरसिंहपुरा की आबादी भूमि व गैरमुमकिन जोहड़ की भूमि का विवाद मा0 राजस्व मण्डल में लम्बित होने व स्थगन होने से इस बिन्दू को तय नहीं किया जा सकता। मा0 राजस्व मण्डल के निर्णय से स्थिति तय होगी।

जहाँ तक डूँगरसिंहपुरा का प्रश्न है, ग्राम पंचायत डूँगरसिंहपुरा की रिपोर्ट दिनांक 8-3-13 के अनुसार सन् 1936-37 में दोनों गावों (गणेशगढ व डूँगरसिंहपुरा) को एक ही चक " चक गणेशगढ " मान कर की गई मुरब्बा बंदी के आधार पर सन् 1972-73 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किलाबंदी की गई। सन् 1936-37 में की गई मुरब्बा बंदी जिसमें दोनों गावों को एक ही चक गणेशगढ मान लिया गया था उसी के आधार पर सन् 1972-73 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई किलाबंदी से दोनों गावों की आबादी और जोहड़ भूमि की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन हो गया और जो भू भाग पूर्व में खसरा के माप के आधार व रियासत काल राज श्री बीकानेर द्वारा जारी आबादी के नक्शा में आबादी भूमि के नक्शा में आबादी भूमि में स्थित था और जिस क्षेत्र में गाँव आबाद होने के समय से ही लोग मकान बना के रह रहे थे, आबादी का वह भू भाग राजस्व रेकार्ड में गैरमुमकिन जोहड़ के नाम से दर्ज हो गया। आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के समय से ही राज्य सरकार द्वारा डूँगरसिंहपुरा व गणेशगढ को अलग-2

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

ग्राम पंचायत मुख्यालय का दर्जा प्रदान किया हुआ है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.9(15)राज-1/2008/28 जयपुर दिनांक 3-3-08 को अधिसूचना जारी कर डूंगरसिंहपुरा को राजस्व ग्राम का दर्जा प्रदान किया गया है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार ग्राम पंचायत डूंगरसिंहपुरा के अधिकार क्षेत्र में मु0नं0 103 का कि0 नं0 13 ता 18 व 23 ता 25 एवं मु0 नं0 115 का 3 ता 8 व 13 ता 18 कुल 21 बीघा रकबा गैरमुमकिन जोहड़ के नाम से राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 में दर्ज है।

<u>उपरोक्त रकबा की मौका स्थिति निम्नानुसार है :-</u>

(1) जोहड की भूमि के आंशिक भू भाग में रा0उ0प्रा0 वि0 डूंगरसिंहपुरा (हरिजन बस्ती) का भवन बना हुआ है।

(2) गैरमुमकिन जोहड़ के कुछ भाग पर रह रहे परिवार जो कि सही पैमायश होने के बाद शायद जोहड़ की भूमि में न भी आयें, लेकिन उन परिवारों को भी ग्राम पंचायत की सामान्य पाक्षिक बैठक दिनांक 21-2-13 के निर्णय अनुसार वहाँ से हट जाने के नियमानुसार नोटिस जारी किये हुए हैं।

(3) उपरोक्त गैरमुमकिन जोहड़ को मनरेगा स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 व 2009-10 में गहरा करवाया गया है।

(4) राजस्व रेकार्ड की स्थिति का पता लगने पर उसमें दुरूस्ती हेतु एक वाद मु0 माल सं0 197/06 ग्राम पंचायत डूंगरसिंहपुरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में दायर किया गया, जिसके निर्णय दिनांक 14-8-06 के विरूद्ध ग्राम पंचायत गणेशगढ द्वारा अपील सं0 61/06 एल आर एक्ट के तहत मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर के न्यायालय में दायर की गई, जिसके निर्णय दिनांक 2-3-09 के विरूद्ध मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर में अपील एल आर एक्ट 2009/4174 पेश की गई, जो मा0 राजस्व मण्डल में विचाराधीन है तथा आगामी आदेश तक ग्राम गणेशगढ व ग्राम डूंगरसिंहपुरा की वादग्रस्त आराजी के संबंध में स्थगन जारी किया हुआ है।

(5) ग्राम पंचायत डूंगरसिंहपुरा द्वारा जोहड़ भूमि में किसी व्यक्ति या संस्था को भू स्वामित्व का कोई भी पट्टा या अधिकार पत्र प्रदान नहीं किया हुआ है।

चालू राजस्व रेकार्ड अनुसार मु0 नं0 91 का कि0 नं0 17 जिस जगह है वह रियासत काल में ग्राम डूंगरसिंहपुरा की आबादी भूमि का भाग था, जिसमें ग्राम वासियों के मकान बने हुए हैं लेकिन वर्तमान में राजस्व रेकार्ड अनुसार चक गणेशगढ के मु0 नं0 91 के कि0 नं0 17 को गैरमुमकिन जोहड़ दर्शाया गया है।

चूँकि ग्राम गणेशगढ व डूंगरसिंहपुरा की वादग्रस्त आराजी के संबंध में मा0 राजस्व मण्डल में अपील एल आर एक्ट के तहत विचाराधीन है तथा आगामी आदेश तक ग्राम गणेशगढ व ग्राम डूंगरसिंहपुरा के वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थगन जारी किया हुआ होने से मा0 मण्डल के निर्णय के बाद ही तय हो पायेगा।

तहसीलदार, श्री गंगानगर द्वारा कमेटी का गठन कर, राजस्व रेकार्ड के मुताबिक ग्राम डूंगरसिंहपुरा एवं गणेशगढ की रिपोर्टस प्रेषित की गई है। रिपोर्टस अनुसार स्थिति निम्नानुसार है :-

<u>मुताबिक रेकार्ड चक डूंगरसिंहपुरा</u>

(1) मुताबिक रेकार्ड चक डूंगरसिंहपुरा के मु0 नं0 103 के कि0 नं0 13 ता 18, 23 ता 25 व मु0 नं0 115 कि0 नं0 3 ता 8, 13 ता 18 में कुल 5.313 है0 गैरमुमकिन जोहड दर्ज रेकार्ड है।

(2) उक्त रकबा में से मौका पर मु0 नं0 115 के कि0 नं0 15/0.038, 16/0.020 व कि0 नं0 13-14-17-18/1.070 है0 रकबा में आबादी बसी हुई है।

(3) उक्त रकबा में से मु0 नं0 103 के कि0 नं0 14/0.038 है0, 15/0.063, 16/0.038, 17/0.025 कुल 0.164 है0 रकबा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (हरीजन बस्ती) बना हुआ है।

उपरोक्त वर्णित रकबा के अतिरिक्त शेष रकबा मौका पर खाली है।

<u>मुताबिक रेकार्ड चक गणेशगढ</u>

<u>मुताबिक रेकार्ड चक डूंगरसिंहपुरा</u>

(1) मुताबिक रेकार्ड चक गणेशगढ के मु0 नं0 71 कि0 नं0 1 ता 25 कुल 6.325 है0, मु0 नं0 72 कि0 नं0 1 ता 4, 8 ता12, 19 ता 21 कुल 3.036 है0, मु0 नं0 90 कि0 नं0 1 की 0.253 है0, मु0 नं0 91 कि0 नं0 2 ता 9, 14 व 17 कुल 2.530 है0 कुल 12.144 है0 गैरमुमकिन जोहड़ दर्ज रेकार्ड है।

(2) उक्त रकबा में मौका पर मु0 नं0 71 कि0 नं0 11/0.063, 12/0.063 है0, 19 ता 22/1.012 है0, 23/0.075 है0, मु0 नं0 72 कि0 नं0 2.3/0.506 है0, 4/0.051 है0, मु0 नं0 90 कि0 नं0 1/0.038 है0, मु0 नं0 91 कि0 नं0

2–4–7–9–17/1.265 है0, कि0 नं0 3/0.028, 6/0.019, 14/0.126 में आबादी बसी हुई है।

(3) उक्त रकबा में मौका पर मु0 नं0 71 कि0 नं0 1 ता 10/2.530, कि0 नं0 11 ता 15 प्रत्येक 0.190 कुल 0.950 है0 पर राजकीय सी0सै0 स्कूल गणेशगढ व मु0 नं0 71 कि0 नं0 13/0.063, 18/0.253 है0 राजकीय प्राथमिक विद्यालय गणेशगढ के कब्जा में है।

(4) बिन्दू सं0 2 व 3 में वर्णित रकबा के अलावा शेष रकबा खाली है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के अनुसार, पटवारी हल्का लालगढ सी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 28–2–13 में वर्णित किया है कि " राजस्व रेकार्ड में जोहड़ पायतन के नाम से भूमि दर्ज नहीं है"। राजस्व पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 1–3–13 के अनुसार ग्राम पंचायत पन्नीवाली में राजस्व रेकार्ड के अनुसार किसी प्रकार की जोहड़ पायतन की जगह आरक्षित नहीं की गई है"। आबादी भूमि व गैरमुमकिन जोहड़ की भूमि के ग्रा0 पं0 गणेशगढ व डूँगरसिंहपुरा के मध्य एक विवाद माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है, जिसमें यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। इसके अलावा ग्राम पंचायतगणेशगढ में पूर्व के सरपचों द्वारा वर्ष 1971–1972 व 1973 में दस भूखण्डों का आवंटन किया गया है, जिनके पट्टों की फोटो प्रतियॉ पत्रावली में पेश की गई हैं। उक्त भूखण्डों का आवंटन यदि नियमविरूद्व है तोग्राम पंचायत ऐसे पट्टों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत कर आवंटन को निरस्त करवा सकती है।

अतः अभ्यावेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 18–2–13, 7–11–12 एवं 26–11–12 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत, गणेशगढ को उपरोक्त अभ्यावेदनों की प्रतियों के साथ इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों की विधिवत् सुनवाई की जाकर, वर्ष 1971–72–73 में जिन दस भूखण्डों का आवंटन किया गया है, की गहनतम जॉच कर नियमविरूद्व पट्टों के नियमानुसार सक्षम न्यायालय में समुचित कार्यवाही करें।

आदेश की प्रति वाचक शाखा, विधि प्रकोष्ट, कलक्ट्रेट अभ्यावेदनकर्ताओं एवं संबंधित ग्राम पंचायत (मय रेकार्ड) को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 16-8-2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतारसिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)